>

Title: Need to regularize the services of contract labourers working in Maharashtra Electrosmelt, a subsidiary of SAIL.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश की कई इंडस्ट्रीज में लोगों को कांट्रेक्ट लेबर के रूप रोजगार दिया जा रहा है। जब प्रोडक्शन संबंधी उत्पादन किया जाता है, काम किया जाता है, तब उनकी परमानेंट कामगार के रूप में नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा देश का कानून है, लेबर एक्ट है। उसके बावजूद भी कई उद्योगों में कांट्रेक्ट पर कामगार रखकर उनका शोषण किया जाता है और बहुत मामूली सा वेतन, मजदूरी देकर उनका आर्थिक नुकसान किया जाता है।

अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र चन्द्रपुर में ऐसे कई स्पंज आयरन प्लांट है। सेल से संबंधित महाराष्ट्र की इलेक्ट्रोस्मेल्ट इंडस्ट्री है, जिसमें करीब 600 मजदूर हैं। उनका पिछले 25-30 वर्षों से कांट्रेक्ट लेबर के रूप में शोषण किया जा रहा है। परमानेंट करने का अधिकार होते हुए भी अब तक केवल 40 वर्कर्स को ही परमानेंट किया गया है, बाकी 50-60 वर्कर्स को जबरदस्ती वीआरएस देकर घर बैठाया गया है। वहां पर सारे मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। मैं इस्पात मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इन सभी बचे हुए तकरीबन 492 मजदूरों को परमानेंट किया जाये। इसके साथ-साथ परमानेंट मजदूरों को जो वेतन मिलता है, उतना ही वेतन उन्हें देने के लिए सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए। इन मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, वह तुंत बंद होना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं।